

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 409

प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 27/10/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जुना मीठा खेड़ा व भू.अ. नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भावगिरी का मीठा तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 में खाता संख्या 83 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>भावगिरी का मीठा</u>	<u>83</u>	<u>580 व 588</u>	<u>महेन्द्र S/O वीराराम</u>	<u>महेन्द्र S/O विरमाराम</u>

समदर सिंह भाटी
(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 27/10/25


क्रमांक:- सम./2025/ 410-412
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल

दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ।

2. प्रार्थी महेन्द्र विरमाराम जुना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी को सूचमाथे।

3. रक्षित पत्रावली।

समदर सिंह भाटी


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी